पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-551
दिनांक-03/03/2025

जोन मध्य/ थाना कैसरबाग

- **वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 24/12/2024 को थाना कैसरबाग पर शिकायतकर्ता/पीड़िता ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि चन्द्रभान आर्या पुत्र मुंशीराम भारती निवासी ग्राम मोहनपुर बीरापट्टी, थाना बड़ा गांव, जनपद वाराणसी द्वारा पीड़िता से जरिये इंस्टाग्राम संपर्क किया गया और इंस्टाग्राम पर ही लागतार चैट करके पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झाँसा देकर होटल में मिलने के लिये बुलाया और शादी का वादा करके शारीरिक शोषण किया, जब पीड़िता ने शादी के लिये कहा तो अभियुक्त उपरोक्त अपने वादे से मुकर गया और शादी करने से इंकार कर दिया।

पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-208/2024 धारा 69/352 BNS पंजीकृत करके निरीक्षक शिव शंकर महादेवन द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी । त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्त चन्द्रभान आर्या उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिये प्रभारी निरीक्षक थाना कैसरबाग द्वारा एक टीम गठित की गई, पुलिस टीम द्वारा हरसंभव/अथक प्रयास करते हुये अभियुक्त चन्द्रभान आर्या उपरोक्त को दिनाँक 02/03/2025 को विजवासन के निकट, निरूला मार्ग पर, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त चन्द्रभान आर्या उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

02-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01-चन्द्रभान आर्या पुत्र मुंशीराम भारती निवासी ग्राम मोहनपुर बीरापट्टी, थाना बड़ा गांव, जनपद वाराणसी उम्र- 25 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग/वाद सं0-

अ0सं0 208/2024 धारा 69/352 BNS थाना कैसरबाग लखनऊ

04-गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय-

विजवासन निरूला मार्ग के निकट, नई दिल्ली से गिरफ्तार, दिनांक 02.03.2025

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अति0 नि0 शिवशंकर महादेवन
2. उ0नि0 राहुल कुमार नैन
3. का0 अरूण तेवतिया

साइबर क्राइम पुलिस थाना, कमिश्नरेट लखनऊ

टीसी-33, बी-2 विभूतिखण्ड गौमतीनगर लखनऊ

ईमेल आईडी- ccpsstf.lu-up@gov.in

मो0नं0 7839876640

प्रेस नोट सं0-550

दिनांक-03/03/2025

साइबर क्राइम थाना लखनऊ द्वारा माह- फरवरी, 2025 में लगभग 5709316/- रूपये की धनराशि पीड़ितो के खाते में वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि विगत माह में साइबर अपराधियो द्वारा विभिन्न तरीको से बहला-फुसलाकर आम जनमानस के साथ साइबर फ्रॉड किया गया, जिनके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी), अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी), सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना लखनऊ पर प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में ठगी की गयी धनराशि की बरामदगी/वापसी हेतु टीम गठित की गयी, जिसमें प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना लखनऊ के निर्देशन में टीम बनाकर त्वरित कार्यवाही करते हुये **विगत माह फरवरी-2025 में लगभग 5709316.03/-** रूपये की धनराशि पीड़ितो के खाते में वापस करायी गयी।

अभियोग एवं वापस करायी गयी धनराशि का विवरण-

माह - फरवरी, 2025		
क्र0सं0	**क्राइम नं0**	**वापस करायी गयी धनराशि**
1	120/2024	10000
2	145/2024	80294
3	171/2024	761220.63
4	178/2024	75593
5	200/2024	25000
6	212/2024	245683
7	214/2024	683047
8	04/2025	1105640.4
9	07/2025	1600143
10	08/2025	600000
11	13/2025	353000
12	17/2025	200000
13	19/2025	59989
कुल धनराशि		**5709316.03**

गिरफ्तारी एवं धनराशि बरामद/वापस कराने में अधिकारी/कर्मचारी –

1. **प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ।**
2. **उ0नि0 गुलाम हुसैन साइबर क्राइम थाना लखनऊ।**
3. **उ0नि0 रवि वर्मा साइबर क्राइम थाना लखनऊ।**
4. **उ0नि0 नीतू सिंह साइबर क्राइम थाना लखनऊ।**
5. **का0 संजय कसौधन साइबर क्राइम थाना लखनऊ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-549
दिनांक–03.03.2025

लखनऊ के अन्तर्गत थाना-बन्थरा क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

कार्यवाही-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 384(23)/2024 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक- 03.03.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
बन्थरा	1	384(23)/2024	**राजकरन रावत उर्फ रामकरन उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व0 जगतपाल निवासी-ग्राम खटोला, थाना बन्थरा, लखनऊ।**	1	198/2022	379/420/468/411 IPC	पारा	06 माह
				2	126/2022	420/468/411 IPC	बन्थरा	
				3	93/2024	323/504/506 IPC	बन्थरा	
				4	121/2024	323/504/506 IPC	बन्थरा	
				5	240/2024	132/115(2)/352/351(2) BNS	बन्थरा	
				6	324/2024	115(2)/352/351(2)/191(2)/324 (4) BNS	बन्थरा	